उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P.Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undretaking)

शक्ति भवन, विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या–1277–औ0सं0/2015–11(12)ए0एस0/2006 दिनांक 18 अप्रैल, 2015

कार्यालय–ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा अपने सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों एवं उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों तथा पारिवारिक पेंशनरों के भर्ती के दौरान कराये गये उपचार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति कारपोरेशन द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों शर्तों एवं कारपोरेशन द्वारा अनुमोदित दरों जो कारपोरेशन के वेबसाइट **www.uppcl.org-Personnel** पर उपलब्ध है, के अधीन कारपोरेशन के आदेश सं0–4452–औस–17/पाकालि/2009, दिनांक 09.12.2002 सपठित आदेश सं0–3593–औस–17/पाकालि/2003, दिनांक 21.07.2003 में निहित प्राविधानों/मानकों के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता (लेसा), लखनऊ के पत्र सं0–1013/मु0अ0/ले0 दिनांक 17.03.2015 के साथ संलग्न निरीक्षण आख्या एवं संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में **"ग्रीन्स मेडिकल सेन्टर, प्लाट नं0–108/109–ए, सेक्टर–बी, बरिगवां, कानपुर रोड, लखनऊ"**, को आँख की चिकित्सा हेतु कारपोरेशन द्वारा निर्धारित सी0जी0एच0एस0 दरों पर एतदद्वारा **(एकल विशिष्टता)** के रूप में दिनांक 30.06.2016 तक के लिए कारपोरेशन की मान्यता प्रदान की जाती है।

उपर्युक्त चिकित्सालय में भर्ती के दौरान हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति पूर्ववर्ती परिषद के आदेश सं0–2088–एन0जी0–2/एस0ई0बी0(चार)29–एन0जी0–2/78, दिनांक 24.05.1978 में निहित प्राविधानों एवं समय–समय पर निर्गत आदेशों तथा शर्तो के अधीन अनुमन्य होगी।

1– अस्पताल को विभाग द्वारा अनुमोदित दरों के अतिरिक्त अन्य कोई चार्ज देय न होंगे। किसी भी प्रकार का परामर्श शुल्क देय न होगा।

2– चिकित्सालय को अपने परिसर में एक साइन बोर्ड लगाना होगा जो यह दर्शायेगा कि **"उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा दिनांक 30.06.2016 तक के लिए मान्यता प्राप्त चिकित्सालय"**।

3– चिकित्सालय को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड का एक रजिस्टर अलग से रखना होगा और प्रति तीन माह में अस्पताल को निम्नलिखित सूचना कारपोरेशन के वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, शक्ति भवन को भेजनी होगी:–

(क) रोगी का नाम/पदनाम/वेतनमान/नियुक्ति स्थान/आयु एवं लिंग।

(ख) पूर्णतः आश्रित होने की दशा में रोगी का कार्मिक से सम्बन्ध।

(ग) अस्पताल में भर्ती होने एवं डिस्चार्ज होने की तिथि।

(घ) कार्मिक का वेतनमान।

(ड) रोग का नाम (डायग्नोसिस)।

(च) कुल चार्ज की गयी धनराशि।

4– कारपोरेशन को यह वचन पत्र देना होगा कि वह कारपोरेशन की वेब साइट **www.uppcl.org-Personnel** पर दर्शायी गयी दरों पर उपचार करने हेतु सहमत है।

5– यदि अस्पताल द्वारा अनिवार्य रूप से भोजन दिया जाता है तो अस्पताल के बीजकों में भोजन की मद हेतु रू0 50/– प्रतिदिन की कटौती कर ली जायेगी।

Nat Mathur
18.4.15

....2....

6– निर्धारित/अनुमोदित दरों से विचलित होने पर सम्बन्धित चिकित्सालय की मान्यता स्वतः समाप्त समझी जाएगी।

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

संख्याः–1277–(1) औस/पाकालि/2015–तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषितः–

1– अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्ध निजी सचिव।

2– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्ध निजी सचिव।

3– निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)/(वितरण)/(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।

4– निदेशक (का0प्र0), ट्रांसको, शक्ति भवन, लखनऊ।

5– प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्याँचल, लखनऊ/पूर्वांचल, वाराणसी/पश्चिमाँल, मेरठ/ दक्षिणाँचल, आगरा एवं केस्को, कानपुर।

6– अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जाँच समिति–प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।

7– मुख्य अभियन्ता (जल–विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

8– समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित है कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, को उपलब्ध करा दें।

9– महाप्रबन्धक (औ0सं0)/उप महाप्रबन्धक (औ0सं0)/समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।

10– समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त), उप मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।

11– समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव–प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।

12– अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन, को कारपोरेशन की वेबसाइट **www.uppcl.org-Personnel** पर लोड करने हेतु।

13– सलाहकार (चिकित्सा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।

14– प्रबन्धक, ग्रीन्स मेडिकल सेन्टर, प्लाट–108/109–ए, सेक्टर–बी, बरिगवां, कानपुर रोड, लखनऊ।

15– सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ0प्र0), 103 कीर्ति अपार्टमेण्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।

16– कट फाइल।

(नवनीत माथुर)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी

MEDICAL/616